राजस्थान विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 29 अगस्त, 2013

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

डॉ0 रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि :-

"राजस्थान विधान सभा की महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के दिनांक 19.7.2010 को महिला थाना, गांधीनगर का आकस्मिक निरीक्षण करने के दौरान सुश्री रतना गुप्ता, थाना अधिकारी, महिला थाना (पूर्व), जयपुर द्वारा महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को चाही गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने, समिति के सभापति एवं सदस्यों के साथ किये गये अशिष्ट एवं अभद्र व्यवहार के फलस्वरूप सुश्री रतना गुप्ता के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से संबंधित विशेषाधिकार समिति, 2013-2014 का प्रतिवेदन जो दिनांक 27 अगस्त, 2013 को उपस्थापित किया गया था, पर विचार किया जाय ।"

(प्रस्ताव पर चर्चा हेतु नियत समय – आधा घण्टा)

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

I- श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

पंचायती राज विभाग

1- अधिसूचना संख्या: एफ.4(14)लीगल/एमे/ईई/पीआर/2008/627 दिनांक 9.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 में संशोधन किया गया है ; एवं

2- अधिसूचना संख्या: एफ.4(12)/एमे/रूल्स/लीगल/पीआर/2013/629 दिनांक 11.7.2013 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ।

जारी..2..

II- श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, कृषि विपणन राज्यमंत्री, कृषि विपणन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

कृषि विपणन विभाग

1- अधिसूचना संख्या: एफ.15(24)कृषि/ग्रुप-2/85-पार्ट दिनांक 6.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मंडी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या: एफ.15(24)कृषि/ग्रुप-2/85-पार्ट दिनांक 11.10.2012 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (मंडी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या: एफ.4(24)कृषि/ग्रुप-2/2006 दिनांक 11.2.2013 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या: एफ.10(28)कृषि/ग्रुप-2/85 दिनांक 4.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी (उप मण्डी यार्डों की स्थापना) नियम, 1987 में संशोधन किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या: एफ.4(24)कृषि/ग्रुप-2/2006 दिनांक 1.4.2013 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है; एवं

6- अधिसूचना संख्या: एफ.15(10)कृषि/ग्रुप-2/90 दिनांक 5.8.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.15(10)कृषि/2-बी/90एस.ओ.181 दिनांक 27.9.1991 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन

डॉ0 दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 ; एवं

2- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013.

4. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

I- श्री अलाउद्दीन आजाद, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख' 2013-2014, प्राक्कलन समिति 'ख' 2013-2014 के 25वें प्रतिवेदन में समाविष्ट श्रम और नियोजन विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति के 26वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

जारी..3..

II- मास्टर भंवरलाल मेघवाल, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति,2013-2014 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी :-

1- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड़(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1994-1995 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 110वां प्रतिवेदन ;

2- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2001-2002 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 111वां प्रतिवेदन ;

3- ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2007-2008 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 112वां प्रतिवेदन ;

4- राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 37वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 113वां प्रतिवेदन ;

5- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2004-2005 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 40वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 114वां प्रतिवेदन ;

6- राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 41वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 115वां प्रतिवेदन ;

7- राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2010-2011 के 44वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 116वां प्रतिवेदन ;

8- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड़(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 63वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 117वां प्रतिवेदन ;

जारी..4..

9- राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड़(अंकेक्षण प्रतिवेदन(वाणिज्यिक) वर्ष 2005-2006 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 67वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 118वां प्रतिवेदन ; एवं

10- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड़(अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2006-2007 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2011-2012 के 77वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक परिपालनात्मक राजकीय उपक्रम समिति, 2013-2014 का 119वां प्रतिवेदन ।

5. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

डॉ0 रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 33वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 33वें
प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

6. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) वर्ष 2013-2014 एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2009-2010 पर मतदान एवं पारण

वर्ष 2013-2014 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें(प्रथम संकलन) एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2009-2010 मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

7. विधायी कार्य

(अ) विधेयकों का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

(1) राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2013

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-4) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-22)

"वित्तीय वर्ष 2013-2014 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..5..

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2013

(I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-21)

"31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2009-2010 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिये स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) ओ.पी.जे.एस., विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013

(I) डॉ0 दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-32)

"राजस्थान राज्य में ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013

(I) श्री मांगीलाल गरासिया, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुंझुनूं विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-36)

"राजस्थान राज्य में झुंझुनूं में क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..6..

(III) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013

(I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-28)

"राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(IV) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012

(I) श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012
(2012 का विधेयक संख्या-20)

"राजस्थान राज्य में जल संसाधनों को विनियमित करने, जल संसाधनों के उचित, साम्यापूर्ण और पोषणीय प्रबंध, आवंटन और उपयोग को सुकर बनाने और सुनिश्चित करने, पीने के, कृषिक, औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिये जल के उपयोग के लिये दरें नियत करने के लिये राजस्थान जल संसाधन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..7..

(V) अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

अजमेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या- 37)

"अजमेर शहर तथा उसके निकटवर्ती कतिपय क्षेत्रों को मिलाकर अजमेर रीजन बनाने, अजमेर रीजन के समुचित, सुव्यवस्थित तथा सत्वर विकास के लिये योजना बनाने, उनमें समन्वय स्थापित करने और उसका पर्यवेक्षण करने और ऐसे विकास के लिये योजनाओं, परियोजनाओं तथा स्कीमों को निष्पादित करने के प्रयोजन के लिये प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित मामलों का उपबन्ध करने हेतु विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

प्रदीप कुमार शास्त्री
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 28 अगस्त, 2013